भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4416

29.03.2017 को दिया जाने वाला उत्तर

कर्मचारियों का उत्पीड़न

4416. श्री मनोज तिवारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे में विशेषकर लखनऊ मंडल में वरिष्ठ डीपीओ स्तर के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो रायबरेली में अरखा रेलवे स्टेशन पर हो रहे अन्याय के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी को उचित तैनाती प्रदान नहीं करने और 58 वर्षीय कर्मचारी का दो वर्ष से भी अधिक समय तक वेतन भुगतान रोकने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में उत्पीड़ित कर्मचारी को राहत प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उत्पीड़न करने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(घ) से (क): उत्तर रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार, अर्खा रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक को 1-य रूप से विकोटिकृत कर दिया गया था। मेडिकल कैटेगरी बीसे चिकित्सी 27.01.2012में फिट

घोषित होने के कारण, उन्हें वेतन सुरक्षा देते हुए दिनांक के आदेश 16.06.2014के तहत अर्खा स्टेशन पर कार्यालय अधीक्षक के रूप में वैकल्पिक नियुक्ति की पेशकश की गई थी। बहरहाल, उन्होंने अभ्यावेदन दिया कि उन्हें लखनऊ में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में तैनात किया जाए। उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया और उनकी तैनाती में परिवर्तन करना व्यवहारिक नहीं पाया गया जिस पर प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था। उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया और वे आज की तिथि तक अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जिसके लिए अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।

****